कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारंभिक अलवर

क्रमांकः जिशिअ/प्राशि/अल/आरटीई/स्थाई मान्यता/ 171 दिंनाकः 13/7/23

अध्यक्ष / सचिव / प्रधानाध्यापक
नॉलेज सिटी
6th मील स्टोन , तिजारा रोड
झारखेरा , अलवर

विषय : आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 18 व 19 के स्थायी मान्यता के आदेश के क्रम में
प्रसंगः विभाग के पत्र संख्या 479 दिंनाक 31-01-2022 के क्रम में

उपरोक्त विषयान्तगर्त प्रसांगिक पत्र के द्वारा **नॉलेज सिटी स्कूल** को कक्षा उप्रावि (1-8) अंग्रेजी माध्यम के लिए स्थायी मान्यता प्रदान की गयी थी, एवं उक्त आदेश में वर्णित स्कूल का पता नॉलेज सिटी, झारखेरा, किशनगढबास, अलवर तथा इस पत्र में वर्णित **नॉलेज सिटी स्कूल 6th मील स्टोन ,तिजारा रोड झारखेरा, अलवर** सामान ही है|

अन्य शर्ते पूर्व आदेशानुसार यथावत रहेगी|

जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) प्रा. अलवर

प्रतिलिपि सूचनार्थ हेतु प्रेषितः-

1. सम्बंधित संस्था - नॉलेज सिटी , 6th मील स्टोन , तिजारा रोड , झारखेरा , अलवर

जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) प्रा० शि०, अलवर

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक अलवर

क्रमांकः–जिशिअ/प्राशि/अल/आरटीई/स्थाई मान्यता/21–22/479 दिनांकः 31-1-22

अध्यक्ष/सचिव/प्रधानाध्यापक
नॉलेज सिटी,
झारखेडा किशनगढबास,
अलवर

विषयः– आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 18 व 19 के स्यायी मान्यता आदेश
प्रसंगः– श्रीमान निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के आदेश
क्रमांक–शिविरा/प्रारं/पीएसपी/मूल मान्यता/ 2018–19/87 दिनांक 24.04.2018

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा अलवर के आदेश क्रमांक जिशिअ/प्राशि/अलवर/आरटीई/मूल मान्यता/4643 दिनांक 30.06.2016 के द्वारा नियम 8 (क) के उप नियम (4) के अधीन आपके विद्यालय को आरटीई मान्यता कोड संख्या 4643 सत्रः– 01.07.2016 से 30.06.2018 तक तीन वर्ष की अवधि के लिये कक्षा उप्रावि (1–8) अंग्रेजी माध्यम के लिये अन्तरिम मान्यता मंजूर की गयी थी, को स्थायी मान्यता प्रदान की जाती है।

अन्य शर्ते पूर्व आदेशानुसार यथावत रहेगी।

जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) प्रा. अलवर

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. श्रीमान संयुक्त निदेशक शिक्षा, जयपुर संभाग, जयपुर।
2. सम्बन्धित संस्था– नॉलेज सिटी, झारखेडा किशगनढबास, अलवर।
3. कार्यालय प्रति।

जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) प्रा. अलवर

National Technical Education Society
Secretary

School Manager
Knowledge City School
6th Milestone Delhi-Tijara Highway
Alwar (Rajasthan)

Principal
Knowledge City School
ALWAR (Raj.)

RR3457966961X
1817

5478
18-7-16

प्रारूप–2

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा अलवर (राज.)

संख्यांकः– 4643 दिनांकः– 30/6/16

प्रबन्धक

नॉलेज सिटी
आरखेड़ा किशनगढ़ अलवर।

विषयः– निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा–18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 11 के उप नियम (4) के अधीन विद्यालय का मान्यता प्रमाण – पत्र।

महोदय / महोदया,

आपके दिनांक 25/6/16 के आवेदन और इस संबध मे विद्यालय के साथ पाश्चातवर्ती पत्राचार / निरीक्षण के प्रतिनिदेश से मै नॉलेज सिटी आरखेड़ा किशनगढ़ अलवर। (विद्यालय का नाम पते सहित) को दिनांक 01-7-16 से दिनांक 30-6-2018 तक दो वर्ष की अवधि के लिए कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के लिए अंग्रेजी (माध्यम) अन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूं। उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो को पूरा किए जाने के अध्यधीन है:–

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणी नही है ओर उसमे किसी भी रूप मे कक्षा ...... के पश्चात मान्यता / सम्बधन के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नही है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 (उपाबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपाबंध 2) के उपबंधो का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 मे उस कक्षा के बालको की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस –पडौस के कमजारे वर्गो और अलाभप्रद समूह के बालको को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हे निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
4. पैरा–3 मे निर्दिष्ट बालको के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा –12 (2) के उपबंधो के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा ऐसी प्रतिपूर्तिया प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसायटी / विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नही करेगा और किसी बालक या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नही करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का प्रमाण न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नही करेगा। यदि ऐसा प्रवेश जन्म स्थान धर्म जाति या प्रजाति या इनमे किसी एक उपलब्ध / निर्धारित आधार पर उत्तवर्ती चाहा गया है।
7. विद्यालय सुनिश्चित करेगा कि:–

National Technical Education Society
Secretary

Principal
Knowledge City School
ALWAR (Raj.)

School Manager
Knowledge City School
6th Milestone Delhi-Tijara Highway
Alwar (Rajasthan)

E :manyta ne 31-01-10.doc

1. प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को विद्यालय मे उसी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा मे अनुत्तीर्ण नही किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नही किया जायेगा।
2. किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीडन के अध्यधीन नही किया जायेगां
3. प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नही की जायेगी।
4. प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम–23 के अधीन अधिकथित किए अनुसार एक प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाएगां
5. अधिनियम के उपबंधो के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवष्कता वाले विद्यार्थियो का समावेश किया जाना।
6. अध्यापको की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओ के साथ ही जाती है परन्तु और यह कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास स अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताए नही है पॉच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताए अर्जित करेगे।
7. अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यो का पालन करता है और अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापो मे नियोजित नही करे।
8. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकाधिक पाठयचर्चा के आधार पर पाठयक्रम का पालन करेगां
9. विद्यालय अधिनियम की धारा–19 मे अधिकथित, विद्यालय मे उपलब्ध प्रसुविधाओ के अनुपात मे विद्यार्थियो का नामांकन करेगा।
10. विद्यालय अधिनियम की धारा–19 मे यथा निर्दिष्ट विद्यालय के मानको और संनियमो को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय प्रविवेदन की गई प्रसुविधाऐ निम्नानुसार हैः–

विद्यालय परिसर का क्षेत्र
कुल निर्मित क्षेत्र
क्रीडा स्थल का क्षेत्रफल
कक्षा कमरो की संख्या
प्रधानाध्यापक– सह–कार्यालय–सह–भण्डार कक्ष
बालक और बालिकाओ के लिए पूथक शौचालय
पेयजल सुविधा
मिड – डे –मील पकाने के लिए रसोई
बाधा रहित पहुँच
अध्यापक पठन सामग्री/क्रीडा खेलकूद उपस्करो/पुस्तकालय की उपलब्धता

National Technical Education Society
Secretary

11. विद्यालय के परिसरो के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाऐ नही चलाई जाएगी।
12. विद्यालय भवनो या अन्य संरचनाओ या क्रीडा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनो के लिए किया जाता है।

School Manager
Knowledge City School
6th Milestone Delhi-Tijara Highway
Alwar (Rajasthan)

Principal
Knowledge City School
ALWAR (Raj.)

13. विद्यालय को राजस्थान सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1958 के अधीन पंजीकृत किसी सोसायटी द्वारा या राजस्थान लोक नयास अधिनियम 1959 के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
14. विद्यालय को किसी व्यष्टि, व्यष्टियो के समूह या, किन्ही अन्य व्यक्तियो के लाभ के लिए नही चलाया जा रहा है।
15. विद्यालय के लेखाओ की चार्टड अकाउंटेट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमो के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। प्रत्येक लेखा विरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) अलवर को भेजी जानी चाहिए।
16. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक......4643............ है। कृपया इसे नोट कर ले और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इसका उल्लेख करे।
17. विद्यालय ऐसे प्रतिवेदन और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय–समय पर निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर/जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) अलवर द्वारा अपेक्षित हो और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशो का पालन करता है जो मान्यता संबंधी शर्तो के सतत अनुपालना को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियो को दूर करने के लिए जारी किए जाऐ।
18. सोसायटी के पंजीकरण के नवीनीकरण यदि कोई हो को सुनिश्चित किया जाए।
19. प्रत्येक सत्र का भवन सुरक्षा बनवाया जावे जिसकी प्रति कार्यालय मे जमा करावे।
20. विद्यालय भवन /स्थान/नाम मे बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के परिवर्तन नही किया जावे।
21. कक्षाऐ वर्षवार क्रमोन्नति की जावे।

भवदीय

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा अलवर

School Manager
Knowledge City School
6th Milestone Delhi-Tijara Highway
Alwar (Rajasthan)

Principal
Knowledge City School
ALWAR (Raj.)

National Technical Education Society
Secretary

प्रारूप–2

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा, अलवर (राज.)

संख्यांक: 4643 दिनांक:– 3/5/13

प्रबन्धक

नालेज सिटी स्कूल

झारखेडा, किशनगढबास।

विषय:– निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा–18 के प्रयोजन के लिए निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 11 के उप नियम (4) के अधीन विद्यालय का मान्यता प्रमाण – पत्र।

महोदय / महोदया,

आपके दिनांक 28.02.2013 के आवेदन और इस संबध मे विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार / निरीक्षण के प्रतिनिदेश से मै नालेज सिटी स्कूल झारखेडा, किशनगढबास (विद्यालय का नाम पते सहित) को दिनांक 01.07.2013 से दिनांक 30.06.2016 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा 1 से कक्षा 6 तक अंग्रेजी के लिए अन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ। उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो को पूरा किए जाने के अध्यधीन है:–

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणी नही है ओर उसमे किसी भी रूप मे कक्षा – 6 के पश्चात मान्यता / सम्बधन के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नही है।
2. विद्यालय निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 (उपाबंध 1) और निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपाबंध 2) के उपबंधो का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 मे उस कक्षा के बालको की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस –पडौस के कमजारे वर्गो और अलाभप्रद समूह के बालको को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हे निशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
4. पैरा–3 मे निर्दिष्ट बालको के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा –12 (2) के उपबंधो के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसायटी / विद्यालय किसी कैपिटेश्न शुल्क का संग्रहण नही करेगा और किसी बालक या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नही करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का प्रमाण न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नही करेगा। यदि ऐसा प्रवेश जन्म स्थान धर्म जाति या प्रजाति या इनमे किसी एक उपलब्ध /निर्धारित आधार पर उत्तवर्ती चाहा गया है।

National Technical Education Society
Secretary

School Manager
Knowledge City School
6th Milestone Delhi Tijara Highway
Alwar (Rajasthan)

Principal
Knowledge City School
ALWAR (Raj.)

7. विद्यालय सुनिश्चित करेगा कि:–

1. प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को विद्यालय मे उसी प्राथमक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा मे अनुत्तीर्ण नही किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नही किया जायेगा।
2. किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीडन के अध्यधीन नही किया जायेगां
3. प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नही की जायेगी।
4. प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम–23 के अधीन अधिकथित किए अनुसार एक प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाएगां
5. अधिनियम के उपबंधो के अनुसार निशक्तता ग्रस्त / विशेष आवश्कता वाले विद्यार्थियो का समावेश किया जाना।
6. अध्यापको की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओ के साथ ही जाती है परन्तु और यह कि विद्यमान अधपक जिनके पास स अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताए नही है पॉच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताए अर्जित करेगे।
7. अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यो का पालन करता है और अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापो मे नियोजित नही करे।

8. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकाधिक पाठयचर्या के आधार पर पाठक्रम का पालन करेगां

9. विद्यालय अधिनियम की धारा–19 मे अधिकथित, विद्यालय मे उपलब्ध प्रसुविधाओ के अनुपात मे विद्यार्थियो का नामांकन करेगा।

10. विद्यालय अधिनियम की धारा–19 मे यथा निर्दिष्ट विद्यालय के मानको और संनियमो को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय प्रविवेदन की गई प्रसुविधाऐं निम्नानुसार है:–

    विद्यालय परिसर का क्षेत्र
    कुल निर्मित क्षेत्र
    क्रिडा स्थल का क्षेत्रफल
    कक्षा कमरो की संख्या
    प्रधानाध्यापक– सह–कार्यालय–सह–भण्डार कक्ष
    बालक और बालिकाओ के लिए पृथक शौचालय
    पेयजल सुविधा
    मिड – डे –मील पकाने के लिए रसोई
    बाधा रहित पहुँच
    अध्यापक पठन सामग्री /क्रिडा खेलकूद उपस्करो / पुस्तकालय की उपलब्धता

National Technical Education Society
Secretary

School Manager
Knowledge City School
6th Milestone Delhi-Tijara Highway
Alwar (Rajasthan)

Principal
Knowledge City School
ALWAR (Raj.)

11. विद्यालय के परिसरो के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाऐ नही चलाई जाएगी।

12. विद्यालय भवनो या अन्य संरचनाओ या क्रीडा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनो के लिए किया जाता है।

13. विद्यालय को राजस्थान सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1958 के अधीन पंजीकृत किसी सोसायटी द्वारा या राजस्थान लोक नयास अधिनियम 1959 के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

14. विद्यालय को किसी व्यष्टि, व्यष्टियो के समूह या, किन्ही अन्य व्यक्तियो के लाभ के लिए नही चलाया जा रहा है।

15. विद्यालय के लेखाओ की चार्टड अकाउंटेट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमो के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। प्रत्येक लेखा विरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिक

16. री (प्रारम्भिक शिक्षा) अलवर को भेजी जानी चाहिए।

17. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक.........4643...... है। कृपया इसे नोट कर ले और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इसका उल्लेख करे।

18. विद्यालय ऐसे प्रतिवेदन और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय–समय पर निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर/जिला शिक्षा अधिकीर (प्रारम्भिक शिक्षा) अलवर द्वारा अपेक्षित हो और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशो का पालन करता है जो मान्यता संबंधी शर्तो के सतत अनुपालना को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियो को दूर करने के लिए जारी किए जाऐ।

19. सोसायटी के पंजीकरण के नवीनीकरण यदि कोई हो को सुनिश्चित किया जाए।

20. प्रत्येक सत्र का भवन सुरक्षा बनवाया जावे जिसकी प्रति कार्यालय मे जमा करावे।

21. विद्यालय भवन /स्थान/नाम मे बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के परिवर्तन नही किया जावे।

22. कक्षाऐ वर्षवार क्रमोन्नति की जावे।

भवदीय

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा अलवर

School Manager
Knowledge City School
6th Milestone Delhi-Tijara Highway
Alwar (Rajasthan)

National Technical Education Society
Secretary

Principal
Knowledge City School
ALWAR (Raj.)

प्रारूप–2

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा अलवर राज.

संख्यांक: 3260

दिनांक:–27/6/12

प्रबन्धक

नॉलेज सिटी स्कूल
मारखेड़ा किशनगढ़बास

विषयः– निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा–18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 11 के उप नियम (4) के अधीन विद्यालय का मान्यता प्रमाण – पत्र।

महोदय / महोदया,

आपके दिनांक 24/4/12 के आवेदन और इस संबध मे विद्यालय के साथ पाश्चातवर्ती पत्राचार / निरीक्षण के प्रतिनिदेश से मै नॉलेज सिटी स्कूल मारखेड़ा किशनगढ़बास अलवर (विद्यालय का नमा, पते सहित) को दिनांक 1–7–2012 से दिनांक 30–6–2015 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा I से कक्षा V तक के लिए (अंग्रेजी) अन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ। उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो को पूरा किए जाने के अध्यधीन हैः–

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणी नही है ओर उसमे किसी भी रूप मे कक्षा–8 के पश्चात मान्यता / सम्बधन के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नही है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 (उपाबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपाबंध 2) के उपबंधो का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 मे उस कक्षा के बालको की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस –पडौस के कमजारे वर्गो और अलाभप्रद समूह के बालको को प्रवेश प्रदान करेगा और उसे निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
4. पैरा–3 मे निर्दिष्ट बालको के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा –12 (2) के उपबंधो के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा ऐसी प्रतिपूर्तिया प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसायटी / विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नही करेगा और किसी बालक या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नही करेगा।

National Technical Education Society
Secretary

Principal
Knowledge City School
ALWAR (Raj.)

School Manager
Knowledge City School
6th Milestone Delhi-Tijara Highway
Alwar (Rajasthan)

6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का प्रमाण न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नही करेगा। यदि ऐसा प्रवेश जन्म स्थान धर्म जाति या प्रजाति या इनमे किसी एक उपलब्ध /निर्धारित आधार पर उत्तवर्ती चाहा गया है।

7. विद्यालय सुनिश्चित करेगा कि:–

   1. प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को विद्यालय मे उसी प्राथमक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा मे अनुत्तीर्ण नही किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नही किया जायेगा।
   2. किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीडन के अध्यधीन नही किया जायेगां
   3. प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नही की जायेगी।
   4. प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम–23 के अधीन अधिकथित किए अनुसार एक प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाएगां
   5. अधिनियम के उपबंधो के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्कता वाले विद्यार्थियो का समावेश किया जाना।
   6. अध्यापको की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओ के साथ ही जाती है परन्तु और यह कि विद्यमान अधपक जिनके पास स अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताए नही है पॉच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताए अर्जित करेगे।
   7. अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यो का पालन करता है और अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापो मे नियोजित नही करे।

8. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकाधिक पाठयचर्या के आधार पर पाठयक्रम का पालन करेगां
9. विद्यालय अधिनियम की धारा–19 मे अधिकथित, विद्यालय मे उपलब्ध प्रसुविधाओ के अनुपात मे, विद्यार्थियो का नामांकन करेगा।
10. विद्यालय अधिनियम की धारा–19 मे यथा निर्दिष्ट विद्यालय के मानको और संनियमो को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय प्रविवेदन की गई प्रसुविधाऐ निम्नानुसार है:–

विद्यालय परिसर का क्षेत्र
कुल निर्मित क्षेत्र
क्रीडा स्थल का क्षेत्रफल
कक्षा कमरो की संख्या
प्रधानाध्यापक– सह–कार्यालय–सह–भण्डार कक्ष
बालक और बालिकाओ के लिए पृथक शौचालय
पेयजल सुविधा

School Manager
Knowledge City School
6th Milestone Delhi-Tijara Highway
Alwar (Rajasthan)

Principal
Knowledge City School
ALWAR (Raj.)

National Technical Education Society
Secretary

मिड – डे –मील पकाने के लिए रसोई

बाधा रहित पहुॅच

अध्यापक पठन सामग्री/क्रीडा खेलकूद उपस्करो/पुस्तकालय की उपलब्धता

11. विद्यालय के परिसरो के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाऐ नही चलाई जाएगी।

12. विद्यालय भवनो या अन्य संरचनाओ या क्रीडा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनो के लिए किया जाता है।

13. विद्यालय को राजस्थान सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1958 के अधीन पंजीकृत किसी सोसायटी द्वारा या राजस्थान लोक नयास अधिनियम 1959 के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

14. विद्यालय को किसी व्यष्टि, व्यष्टियो के समूह या, किन्ही अन्य व्यक्तियो के लाभ के लिए नही चलाया जा रहा है।

15. विद्यालय के लेखाओं की चार्टड अकाउंटेट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमो के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। प्रत्येक लेखा विरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) अलवर को भेजी जानी चाहिए।

16. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक......3260.......... है। कृपया इसे नोट कर ले और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इसका उल्लेख करे।

17. विद्यालय ऐसे प्रतिवेदन और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय–समय पर निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर/जिला शिक्षा अधिकीर (प्रारम्भिक शिक्षा) अलवर द्वारा अपेक्षित हो और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशो का पालन करता है जो मान्यता संबंधी शर्तो के सतत अनुपालना को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियो को दूर करने के लिए जारी किए जाऐ।

18. सोसायटी के पंजीकरण के नवीनीकरण यदि कोई हो को सुनिश्चित किया जाए।

19. प्रत्येक सत्र का भवन सुरक्षा बनवाया जावे जिसकी प्रति कार्यालय मे जमा करावे।

20. विद्यालय भवन /स्थान/नाम मे बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के परिवर्तन नही किया जावे।

21. कक्षाऐ वर्षवार क्रमोन्नति की जावे।

National Technical Education Socie
Secretar

School Manager
Knowledge City School
6th Milestone Delhi-Tijara Highway
Alwar (Rajasthan)

Principal
Knowledge City School
ALWAR (Raj.)

भवदीय

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा अलवर